रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2015/आश्विन 17, 1937
No. 626] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2015/ASVINA 17, 1937

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधि कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2015

**सा.का.नि. 772(अ)**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2015 है ।
(2) ये 1 अक्तूबर, 2015 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. प्रतिधारण, फीस और भत्ते.- नियम 5 में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने के लिए, विधि अधिकारी को -

(क) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय ,-

(i) महा न्यायवादी के मामले में, पचहत्तर हजार रुपये प्रतिमास;

(ii) महा सालिसीटर के मामले में, साठ हजार रुपये प्रतिमास ; और

(iii) अपर महा सालिसीटर के मामले में, पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास "

का प्रतिधारण का संदाय किया जाएगा ।

(ख) उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, जांच आयोगों या अधिक्रमणों इत्यादि के समक्ष लंबित मामलों में भारत सरकार की ओर से हाजिरी और अन्य कार्य के लिए निम्नलिखित मापमानों पर फीस, अर्थात्:-

| क्रम संख्या | कार्य की मद की नाम पद्धति | उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय सहित) और अन्य न्यायालय (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न) या अधिकरण या जांच आयोग या मध्यस्थ के समक्ष मामलों में हाजिरी और अन्य कार्य के लिए संदेय फीस की दरें |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (i) | अनुच्छेद 143 के अधीन मुकदमें, रिट याचिकाएं, अपील और संदर्भ | 24,000 रुपए प्रति मामला प्रतिदिन |
| (ii) | विशेष रिट याचिकाएं और अन्य आवेदन | 15,000 रुपए प्रति मामला प्रतिदिन |
| (iii) | अभिवाकों का निपटान (शपथ पत्रों सहित) | 7,500 रुपए प्रति अभिवाक् |
| (iv) | मामले के निपटान का कथन | 9,000 रुपए प्रति मामला |
| (v) | विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामलों के कथन में राय देने के लिए | 15,000 रुपए प्रति मामला |
| (vi) | उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जांच आयोगों या अधिकरणों इत्यादि के समक्ष लिखित निवेदन के लिए | 15,000 रुपए प्रति मामला |
| (vii) | दिल्ली से बाहर न्यायालयों में हाजिरी | 60,000 रुपए प्रतिदिन प्रति मामला |

**स्पष्टीकरण**:- यदि सारवान रूप से समान कथनों को अंतवर्लित करने वाले दो या अधिक मामलों पर सुनवाई सामान्य दलीलों के साथ होती है तो विधि अधिकारी केवल एक फीस के लिए वैसे ही हकदार होगा जैसे कि एकल मामले के लिए ।

(ग) महा न्यायवादी को उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय चार हजार रुपए प्रतिमास का सत्कार भत्ता का संदाय किया जाएगा ;

(घ) जहां किसी विधि अधिकारी उसके कर्तव्यों के अनुक्रम में मुख्यालय से बाहर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है वहां उसे यात्रा और बोर्डिंग तथा आवास पर उपगत किए गए वास्तविक व्ययों का संदाय किया जाएगा या उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी; और

(ड.) यदि किसी विधि अधिकारी से नियम 5 में निर्दिष्ट कर्तव्यों जैसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करना या दोनों पक्षकारों, जिनमें एक पक्षकार भारत सरकार है, को सुनने के पश्चात् राय देना, से भिन्न किसी कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जो सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।

[फा.सं. 26(1)/2014/न्या.]

सुरेश चंद्र, संयुक्त सचिव, और विधि सलाहकार

**पाद टिप्पण:-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 जनवरी, 1987 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

i. सा.का.नि. सं. 379(अ), तारीख 14 अप्रैल, 1987

ii. सा.का.नि. 473(अ), तारीख 22 जून, 1993

iii. सा.का.नि. 403(अ), तारीख 2 जून, 1999

iv. सा.का.नि 345(अ), तारीख 10 मई, 2001

v. सा.का.नि. 106(अ), तारीख 25 फरवरी, 2005

vi. सा.का.नि.723(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2005

vii. सा.का.नि.....(अ), तारीख 18 जुलाई, 2008

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2015

**G.S.R. 772(E).—**In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 read with article 76 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Law Officers (Conditions of Service) Amendment Rules, 2015.
(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of October, 2015 or from the date of appointment of the Law Officer, whichever is later.

2. In the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. Retainer, fee and allowances. - For the performance of the duties mentioned in Rule 5, a Law Officer shall be paid-

(a) a retainer, except during the period of his leave,-

(i) in the case of the Attorney General, of rupees Seventy-five thousand per month;

(ii) in the case of the Solicitor-General, of rupees Sixty thousand per month; and
(iii) in the case of Additional Solicitor General, of rupees Forty-five thousand per month;

(b) a fee for appearance and other work on behalf of the Government of India in cases before the Supreme Court, various High Courts, Commissions of Inquiry or Tribunals and the like on the following scales, namely :-

| Sl. No. | Nomenclature of the item of work | Rates of fees payable for appearance and other work in cases before the Supreme Court, High Courts (including Delhi High Court) and any Court (other than the Supreme Court or High Court) or a Tribunal or a Commission of Inquiry or an Arbitrator |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (i) | Suits, writ petitions, appeals and references under article 143 | □ 24,000/- per case per day |
| (ii) | Special leave petitions and other applications | □ 15,000/- per case per day |
| (iii) | Settling pleadings (including affidavits) | □ 7,500/- per pleading |

| | | |
|---|---|---|
| (iv) | Settling Statement of Case | □ 9,000/- per case |
| (v) | For giving opinions in statements of cases sent by the Ministry of Law | □ 15,000/- per case |
| (vi) | For written submission before the Supreme Court, High Court, and Commissions of Inquiry or Tribunals and the like | □ 15,000/- per case |
| (vii) | Appearance in Courts outside Delhi | □ 60,000/- per day per case |

**Explanation :** If two or more cases involving substantially identical questions are heard together with common arguments, Law Officer shall be entitled to only one fee as for a single case.

(c) The Attorney General shall be paid sumptuary allowance of rupees four thousand per month, except during the period of his leave;

(d) Where a Law Officer is required to perform journeys outside the headquarters in the course of his duties, he shall be paid or reimbursed the actual expenses incurred on travelling and on boarding and lodging; and

(e) If a Law Officer is called upon to perform any duty other than those referred to in rule 5, such as, acting as Arbitrator or giving opinion after hearing both the sides, one being the Government of India, he shall be paid such fee as may be determined by the Government".

[F.No.26(1)/2014/Judl.]

SURESH CHANDRA, Jt. Secy. and Legal Adviser

**Foot Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 1st January, 1987 vide notification No. G.S.R. 1(E) dated the 1st January, 1987 and have been subsequently amended by

i. G.S.R. No. 379(E) dated the 14th April, 1987

ii. G.S.R. 473 (E) dated 22nd June 1993.

iii. G.S.R. 403 (E) dated 2nd June 1999.

iv. G.S.R 345 (E) dated 10th May 2001

v. G.S.R 106 (E) dated 25th February, 2005.

vi. G.S.R. 723(E) dated 16th December, 2005.

vii. G.S.R. … (E) dated 18th July, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.